फर्द अहकाम
(नियम 133)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

### भाविका आदि बनाम विजय कुमार आदि

अन्तर्गत धारा :– धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :–154/2020
वाद पत्र के साथ प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या :–78/2020

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तामिल में जारी |
|---|---|
| 30.07.2020 यह वाद पत्र वादी की ओर से **श्री भवानी सिंह निर्वाण** अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद–पत्र के सलग्न प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. शीर्षक "भाविका आदि बनाम विजय कुमार आदि" से पेश किया गया है। वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 17.09.2020 को पेश हो।<br>(कपिल यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)<br>एवम् पदेन सहायक कलक्टर<br>हनुमानगढ। | सम्मन जारी 330/2020 |
| 18.08.2020 वादीया संख्या 2 स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वादीया द्वारा वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए वर्तमान स्तर पर खारिज करते हुए दाखिल दफ्तर करनें हेतु निवेदन किया। प्रार्थीया की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।<br>प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली करते हुए स्वीकार किया जाकर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल दाखिल दफ्तर हो।<br>(कपिल यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी एवम्<br>पदेन सहायक कलक्टर<br>हनुमानगढ़ | चन्द्रकैलाश 93umc Day |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.09.30 13:04:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner